

प्रेस नोट बिजनौर पुलिस दिनांक-14.09.2020

थाना को0शहर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड, 01 अभि0गण 21 बने-अधबने शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार।

मु0अ0सं0-589/2020 धारा- 5/25 शस्त्र अधिनियम बनाम- शाकिर पुत्र जाकिर
दिनांक घटना-14.09.2020 समय-20:30 बजे घटना स्थल-जंगल ग्राम दारानगर नहर पटरी
दिनांक गि0/ब0-14.09.2020 समय-03:30 बजे गि0/स्थल-जंगल ग्राम दारानगर नहर पटरी
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-शाकिर पुत्र जाकिर निवासी ग्राम भोगनवाला थाना को0शहर जनपद बिजनौर।



फरार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-गालिब पुत्र जाहिद निवासी ग्राम टिक्कोपुर थाना को0शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण-

- 1-05 अदद तमंचे 315 बोर
- 2-01 अदद तमंचे 12 बोर
- 3-15 अधबने शस्त्र
- 5-एक कट्टे मे व शस्त्र बनाने के उपकरण

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

-मु0अ0सं0 589/2020 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम बनाम शाकिर/गालिब उपरोक्त



अपराधिक इतिहास अभि० शाकिर उपरोक्त –

- 1—मु०अ०सं० 79 / 20 धारा 356 / 392 / 411 भादवि० थाना को०शहर जनपद बिजनौर।
- 2—मु०अ०सं० 240 / 20 धारा 8 / 20 एन०डी०पी०एस०एक्ट थाना को०शहर जनपद बिजनौर।
- 3— मु०अ०सं० 589 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना को०शहर बिजनौर।

अपराधिक इतिहास फरार अभि० गालिब उपरोक्त –

- 1—मु०अ०सं० 272 / 09 धारा 4 / 25 शस्त्र अधि० थाना को०शहर बिजनौर।
- 2—मु०अ०सं० 210 / 11 धारा 379 / 411 भादवि० भादवि० थाना को०शहर बिजनौर।
- 3—मु०अ०सं० 237 / 11 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना को०शहर जनपद बिजनौर।
- 4—मु०अ०सं० 494 / 12 धारा 380 / 411 भादवि० थाना को०शहर बिजनौर।
- 5—मु०अ०सं० 495 / 12 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना को०शहर बिजनौर।
- 6—मु०अ०सं० 152 / 13 धारा 380 / 411 भादवि० थाना को०शहर बिजनौर।
- 7— मु०अ०सं० 589 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम थाना को०शहर बिजनौर।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

आगामी ग्राम पंचायत चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अवैध शस्त्रों का क्रय-बिक्रय करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना को०शहर पुलिस द्वारा दिनांक 14.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर **अभियुक्तगण 1—शाकिर उपरोक्त** को भारी मात्रा में बने-अवैध शस्त्र व शस्त्र बनाने के उपकरण सहित जंगल ग्राम दारानगर नहर पटरी से गिरफ्तार किया गया इसका साथी गालिब उपरोक्त अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गयो। जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। शस्त्र फैक्ट्री बरामदगी के सम्बन्ध में **थाना को०शहर पर मु०अ०सं०—589 / 2020 धारा 5 / 25 शस्त्र अधिनियम** पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण—

अभियुक्त शाकिर पूछताछ में बताया कि वह जेल अभि० गालिब उपरोक्त से मिला तथा वहीं पर हम लोगों ने अवैध शस्त्र निर्माण कर उनको बेचकर पैसा कमाने का प्लान बनाया था। जेल से निकलकर हम दोनों अवैध शस्त्र निर्माण का कार्य करते हैं और निर्माण करने के बाद जनता के व्यक्तियों को 5,000 / रूपये प्रति तमंचा, 20,000 रूपये में बन्दूक बेचते हैं और उस पैसे को आपस में बाँट लेते हैं। इस पैसे से हम अपने शौक पूरे करते हैं। आगामी ग्राम पंचायत में चुनाव में अवैध शस्त्रों की माँग बढ़ गयी थी इसलिये हम लोग काफी मात्रा में अवैध शस्त्रों का निर्माण करने वाले थे।

अभि० गालिब उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों गठित की गयी है। शीघ्र गिरफ्तार किया जायेगा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

- 1—प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश सिंह सोलंकी
- 2—उ०नि० श्री जर्जर हुसैन
- 3—उ०नि० श्री अमित कुमार
- 4—उ०नि० श्री संदीप मलिक
- 5—का० 69 अरविन्द
- 6—का० 1399 सनोज कुमार
- 7—का० 733 सचिन कुमार थाना को०शहर जनपद बिजनौर।

थाना नगीना पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर, चोरी की 04 मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार।

मु0अ0सं0-434 / 2020 धारा- 411 / 414 / 420 / 467 / 471 / 482 भादवि0

बनाम- 1-गुलजार, 2-जितेन्द्र

दिनांक घटना-14.09.2020 समय-08:50 बजे घटना स्थल-सैदपुरी चौराहा थाना नगीना

दिनांक गिरफ्तारी/बरामगी -14.09.2020 समय-03:30 बजे गिर0/स्थल- सैदपुरी चौराहा

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-गुलजार पुत्र नसीम निवासी ग्राम पखनपुर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2-जितेन्द्र उर्फ जमुना पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी उपरोक्त।



बरामदगी का विवरण—

1— 04 चोरी की मोटर साईकिल

क— हीरो स्पलैण्डर नम्बर एचआर 10 एन 5039

ख— एच0एफ डीलक्स नम्बर डीएल 9 एसएस 9537

ग— पेशन प्रो डीएल 35बी 6993

घ— पल्सर नम्बर— निल

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

मु0अ0सं0—434 / 2020 धारा— 411 / 414 / 420 / 467 / 471 / 482 भादवि0 बनाम गुलजार, जितेन्द्र उपरोक्त।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

मेंरे द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना नगीना पुलिस द्वारा चेंकिंग के दौरान मुखविर की सूचना पर सैदपुरी चौराहा थाना नगीना से अभि0 गुलजार व जितेन्द्र को मोटर साईकिल हीरो स्पलैण्डर नम्बर एचआर 10 एन 5039 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभि0गण की निशादेही पर चोरी की 03 मोटर साईकिल उपरोक्त अभि0 गुलजार के घर से बरामद हुई।

पूछताछ का विवरण—

अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि हम लोग भिन्न-भिन्न स्थानों से मोटर साईकिल करते हैं। गुलजार की मोटर साईकिल मैकेनिक की दुकान है उसी पर वह इंजन, चेंसस नम्बर बदल देता है। बेचने पर जो पैसा मिलता है उसको आपस में बाँट लेते हैं। इसी पैसे से अपने शौक पूरे करते हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

1—प्रभारी निरीक्षक श्री कृष्ण मुरारी दोहरे 2—निरीक्षक अपराध श्री विनय कुमार 3—उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह 4—उ0नि0 श्री धर्मपाल सिंह 5—का0 2070 मोहित 6—का0 1318 आशु थाना नगीना जनपद बिजनौर।

थाना किरतपुर:- आज दिनांक 14.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभि० रिजवान पुत्र शमशाद निवासी मौ० लोहारान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 290 / 20 धारा 4 / 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना किरतपुर:- आज दिनांक 14.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभि० अंकुल शर्मा पुत्र दुष्यन्त शर्मा निवासी ग्राम अमाननगर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर मु०अ०सं० 291 / 20 धारा 3 / 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना बढापुर:- आज दिनांक 14.09.2020 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभि० संजीव कुमार पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम दोदराजपुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना बढापुर पर मु०अ०सं० 248 / 20 धारा 3 / 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना नजीबाबाद:- आज दिनांक 14.09.2020 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा अभि० इंतजार पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम कल्हेड़ी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 467 / 20 धारा 3 / 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना शेरकोट:— आज दिनांक 14.09.2020 को थाना शेरकोट पुलिस द्वारा अभि०गण 1—पिंकू उर्फ मुख्तयार पुत्र अमरजीत सिंह निवासी ग्राम कल्लूवाला थाना रेहड़, 2—इदरीश पुत्र अब्दुल अजीज निवासी मौ० अफगानान थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 01—01 तमन्चा 12 बोर मय 03—03 जिन्दा कारतूस व 2—राजेश पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को 01तमन्चा 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु०अ०सं० 255/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम इदरीश उपरोक्त, मु०अ०सं० 256/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम पिंकू उर्फ मुख्तयार उपरोक्त, मु०अ०सं० 257/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम राजेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



थाना रेहड़:— आज दिनांक 14.09.2020 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अभि० मौ० दानिश पुत्र मौ० इस्यास निवासी मोहल्ला मोहिनदीनपुर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रेहड़ पर मु०अ०सं० 116/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना मण्डावर:— आज दिनांक 14.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि० गजफ्फर पुत्र नफीस निवासी ग्राम नारायण पुर थाना मण्डावर, 2—मस्तान पुत्र मेंहदीहसन निवासी ग्राम भरुका थाना मण्डावर, 3—विरेन्द्र उर्फ पिलवा निवासी पुत्र छोट सिंह निवासी मंसापुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर को 01—01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 04 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु०अ०सं० 243/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम गजफ्फर उपरोक्त, मु०अ०सं० 244/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम मस्तान उपरोक्त, मु०अ०सं० 245/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम विरेन्द्र उर्फ पिलवा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



स्योहारा:— आज दिनांक 14.09.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभि० काकुल पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम बसन्तगढ़ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 474/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना रेहड़:— आज दिनांक 14.09.2020 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा अभि० भूदेव शर्मा पुत्र हरस्वरूप शर्मा निवासी ग्राम मोहउद्दीनपुर थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रेहड़ पर मु०अ०सं० 117/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना शि०कलां:— आज दिनांक 14.09.2020 को थाना शि०कलां पुलिस द्वारा अभि० नरेश उर्फ पिन्टू पुत्र दयाराम निवासी ग्राम फीना थाना शि०कलां जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शि०कलां पर मु०अ०सं० 150/20 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना हीमपुरः- आज दिनांक 14.09.2020 को थाना हीमपुर पुलिस द्वारा थाना हीमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/20 धारा 269/270/429 भादवि0 व 11 पशु कूरता अधि0 के वांछित अभि0 मुस्तकीम पुत्र यामीन निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना हीमपुर बिजनौर व गुलफाम पुत्र अशरफ निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना हीमपुर जनपद बिजनौर कें गिरफ्तार किया गया।

थाना शि0कलांः- आज दिनांक 14.09.2020 को थाना शि0कलां पुलिस द्वारा अभि0 एलवीडब्लू के अभि0 शहजाद पुत्र शमशेर निवासी मझोला बिल्लोच थाना शि0कलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना को0शहरः- आज दिनांक 14.09.2020 को थाना को0शहर पुलिस द्वारा आने-जाने वाली महिलाओं अर अश्लील टिप्पणी करने वाला अभियुक्त सचिन भरद्वाज पुत्र बृहमानंद भरद्वाज निवासी सर्वोदय कॉलौनी थाना को0शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना को0शहर पर मु0अ0सं0 475/20 धारा 294 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

